RRs. of CT(DAFT)/(PEONS/FARASH/SK(MIN)

(51)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 2010/वैशाख 3, 1932

No. 211] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 2010/VAISAKHA 3, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 347(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल योधक (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फराश) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फराश) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्ही उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(52)

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षो का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. कांस्टेबल (दफ्तरी)	294* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1 5200–20200 रू0+ ग्रेड वेतन 2000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण 1** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,जम्मू कश्मीर, राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

						टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. सहायक निदेशक या कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष 2. संयुक्त सहायक निदेशक या उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य I 3. प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य II	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. कांस्टेबल (चपरासी)	413* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1 5200–20200 रू0+ ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण 1** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1.सहायक निदेशक या कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष 2. संयुक्त सहायक निदेशक या उप कमाडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य I 3. प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य II	लागू नहीं होता

1535GI/10-2

(56)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. कांस्टेबल (फराश)	60* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1 5200–20200 रू0+ ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण 1** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,जम्मू कश्मीर, राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(57)

8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

<table>
<tr><th>13</th><th>14</th></tr>
<tr><td>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–
<table>
<tr><td>1. सहायक निदेशक या कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2. संयुक्त सहायक निदेशक या उप कमाडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल</td><td>सदस्य I</td></tr>
<tr><td>3. प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल</td><td>सदस्य II</td></tr>
</table></td><td>लागू नहीं होता</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय)	60* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1 5200–20200 रू0+ ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण 1** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,जम्मू कश्मीर, राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. सहायक निदेशक या कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष 2. संयुक्त सहायक निदेशक या उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य I 3. प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य II	लागू नहीं होता

[फा. सं. आर. 9-1/2010 मिन./सीआरपीएफ/कार्मिक-2]

एस. सी. शिवाजी राव, उप-सचिव (कार्मिक-1)

1535 GI/10-3

59

(60)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2010

G.S.H. **347(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Combatised (Group 'C' and Group 'D' posts), Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari Ministerial) in the Central Reserve Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and **commencement.**—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari Ministerial) Kecruitmcnt Kules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay.—The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay/the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts

t'rovided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, cxempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(61)

SCHEDULE

Name of Post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Constable (Daftry)	294* (2010) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted (Ministerial).	Pay band I Rs.5200-20200 plus Grade pay Rs.2000.	Not applicable	Not applicable.	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note:-1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of a applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,	Matriculation from a recognized Board/ University.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :- 1. Assistant Director or Commandant , Central Reserve Police Force- **Chairman** 2. Joint Assistant Director or Deputy Commandant Central Reserve Police Force -**Member-I** 3. Administrative Officer or Section Officer or Assistant Commandant Central Reserve Police Force -**Member II.**	Not applicable.

						Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.							

63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2. Constable (Peon).	413* (2010) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted (Ministerial).	Pay band I Rs.5200-20200 plus Grade pay Rs.2000.	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note:-1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of a applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are [illegible] nominate candidates.	Matriculation from a recognized Board/ University	Not applicable	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :- 1. Assistant Director or Commandant, Central Reserve Police Force- **Chairman.** 2. Joint Assistant Director or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force -**Member- I** 3. Administrative Officer or Section Officer or Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - **Member - II**	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(	(7)	(8)	)	(10)	(11)	(2)	(13)	(
3. Constable (Farash)	60 * (2010) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted (Ministerial).	Pay band I Rs.5200-20200 plus Grade pay of Rs.2000.	Not applicable	Not app lcable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note:-1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of a applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.	Matriculation from a recognized Board/ University	Not icable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applible	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:- 1. Assistant Director or Commandant, Central Reserve Police Force- **Chairman.** 2. Joint Assistant Director or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - **Member- I** 3. Administrative Officer or Section Officer or Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - **Member -II**	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4. Constable (Safai Karmachari Ministerial)	60* (2010) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted (Ministerial).	Pay band I Rs.5200-20200 plus Grade pay of Rs.2000.	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note:-I. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of a applications from candidates in India(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.	Matriculation from a recognized Board/ University.	Not applicable.	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :- 1. Assistant Director or Commandant, Central Reserve Police Force- **Chairman.** 2. Joint Assistant Director or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force -**Member- I** 3. Administrative Officer or Section Officer or Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - **Member -II**	Not applicable

[F. No. R. IX. 1/2010-Min./CRPF/Pers-II]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy. (Pers.-I)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.